निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 39 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0, टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0, टिहरी** के माह 10/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी,के पर्यवेक्षण में दिनांक 16.08.2018 से 25.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री आर. एन. यादव और श्री राजेश डोभाल, स0 ले0 प0 अधि0 द्वारा दिनांक 14.10.2017 से 31.10.2017 तक श्री वी. एस. पवार, व0 ले0 प0 अधि0 के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2016 से 09/2017 तक के अभिलेखो की जांच की गयी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2017 से 7/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0, टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत प्रतापनगर एवं जाखनीधार मार्ग** के निर्माण एवं सुधारीकरण के कार्य

(iii) इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ` (लाख मे)	बचत (-) ` (लाख मे)
	स्थापना ` (लाख मे)	गैर स्थापना `(लाख मे)	आवंटन ` (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)	आवंटन ` (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)		
2016-17	0.00	0.00	676.42	614.43	2070.92	1982.42	0.12	88.62
2017-18	0.00	0.00	779.36	727.63	655.36	612.21	0	43.15
2018-19 (upto 07/2018)	0.00	0.00	617.66	320.42	1500.55	1500.55	0	0

- अवशेष धनराशि वर्षांत में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16					
2016-17					
2017-18					
2018-19					

(v) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0, टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 को विस्तृत लेखा जांच हेतु एवं " स्यानसु-भैंगा-चौधार मोटर मार्ग" को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधिशासी अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक 10/2017. से .07/2018 का निरीक्षण किया गया।
3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी **03/2018 एवं 09/2017** तक की गयी।
4. फार्म-51 माह माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :
5. भाग प्रथम:..रु 5588810.00
   भाग दितीय: रु 4082832.00

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **07/2018** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 10357439.00
(ख) सामग्री क्रय : शून्य
(ग) नगद परिशोधन : शून्य
(घ) निक्षेप : रु 4929.003765
(ङ) भंडार : रु 3022166.00

भाग 2 (अ)

प्रस्तर: - 1 विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न करने के कारण ` 76.19 लाख का अतिरिक्त व्यय भार।

जनपद टिहरी गढ़वाल में पीपलडाली रजाखेत खेत मोटर मार्ग का बीएम एसडीबीसी द्वारा डामरीकरण (10 किमी लंबाई) का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह फरवरी 2014 में शासन द्वारा `561.89 लाख की प्रदान की गई थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह नवंबर 2014 में इतनी ही धनराशि की मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र द्वारा प्रदान की गयी थी।

प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा (अगस्त-2018) में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु खण्ड द्वारा अनुबंध 19/SE-08/2014-15 गठित किया गया एवं ठेकेदार द्वारा कार्य न होने के कारण डेबिटेबल एजेंसी के रूप में अनुबंध 10/SE-08/2016-17 व 02/SE-08/2017-18 गठित किए गए। खण्ड द्वारा उक्त मार्ग पर अन्य मदों के साथ ही 3.75 मीटर चौड़ाई में बीएम /एसडीबीसी का प्रावधान रखा गया। जबकि पूर्व में सड़क कि क्रस्ट मात्र 200 एमएम थी एवं उस पर पीसी द्वारा डामरीकरण किया गया था। आईआरसी के मानको एवं समय समय पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेशो के अनुसार ऐसे मार्गो पर जहां क्रस्ट thickness कम हो एवं bituminous surface पीसी स्तर का हो एवं यातायात घनत्व भी कम हो वहाँ बीएम एसडीबीसी का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि pavement thickness कम होने के साथ ही ग्रामीण मार्ग होने के कारण इस पर यातायात घनत्व भी कम था। उक्त मार्ग पर पीसी एवं seal coat का प्रावधान न कर बीएम/ एसडीबीसी का प्रयोग किया गया जो आईआरसी की विशिष्टियों एवं प्रमुख अभियंता के आदेशो के अनुरूप नहीं था। खण्ड द्वारा यदि बीएम एसडीबीसी के स्थान पर PC व seal coat का विकल्प लिया जाता तो निम्न प्रकार से लागत वृद्धि से बचा जा सकता था।

PC व Seal Coat के अनुसार लागत

Item	Quantity as per estimate (in sq m)	Rate as per contact 10/SE-08/2016-17	Amount (Rs.)
Prime coat	37125	15.60/ sq m	579150
Tack coat	37125	33.00/ sq m	1225125
20 mm thick open grade Premix Carpet	37125	181.50/ sq m	6738188
Seal Coat	37125	63.40/ sq m	2353725
Total			10896188

02/SE-08/2017-18 (2nd Running Bill) के अनुसार लागत

Items	Quantity	Rate	Amount (Rs.)
Tack Coat	16891.10	12.90/ sq m	217895
BM	1556.41	9265/ cu m	14420139
SDBC	338.717	11445/ cu m	3876616
Total			18514650

उक्त तलिकाओ से स्पष्ट है कि विशिष्टियों के अनुसार कार्य न करने पर खण्ड द्वारा माह अगस्त 2018 तक ` 76.19 लाख (185.15-108.96) का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि उक्त कार्य पर वास्तविकरूप में कार्य पूर्ण था एवं खण्ड द्वारा कार्य समाप्त कर अंतिम रूप से variation स्वीकृत करवाया था, स्थिति निमन्वत थी:

अनुबंध 02/SE-08/2017-18 का स्वीकृत variation

Item	Quantity as per approved variation (work done)	Rate	Amount (Rs.)
Tack Coat	73000	12.90/ sq m	941700
BM	1975	9265/ cu m	18298375
SDBC	912	11445/ cu m	10437840
Total			29677915

स्वीकृत variation (` 296.78 लाख) के अनुसार ` 187.82 लाख (296.78-108.96) की लागत वृद्धि पीसी व सील कोट के स्थान पर बीएम एसडीबीसी मद द्वारा कार्य निष्पादन से की गईं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर खंडीय आख्या में बताया गया कि क्रस्ट thickness कम होने के कारण बीएम एसडीबीसी का कार्य कराया गया है। खण्ड का उत्तर ही लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति है। जिससे स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा ग्रामीण मार्ग पर बीएम एसडीबीसी करने में न तो WBM की अतिरिक्त सतह बिछाकर क्रस्ट thickness बढ़ाई गई न ही यातायात घनत्व देखा गया और इस तरह आईआरसी कि विशिष्टियों एवं प्रमुख अभियंता के आदेशो कि अवहलेना कर कार्य कराया गया जिससे कार्य की लागत में अनावश्यक अतिरिक्त वृद्धि हुई।

अतः विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न करने के कारण ` 76.18 लाख का अतिरिक्त व्यय भार व ` 187.82 लाख की लागत वृद्धि का प्रकरण शासन के प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 : वित्तीय नियमावली के विपरीत अनुबंध गठित कर अपूर्ण अवस्था मे ही अनुबंध का न केवल अंतिमीकरण करना अपितु रु 170.33 लाख के व्यय का विवरण प्रस्तुत न करना

Clause 318 of Financial Handbook Volume-VI: For every work proposed to be carried out except petty works and petty repairs, and repairs for which a lump sum provision has been sanctioned by the superintending engineer, under paragraph 349, properly detailed estimate must be prepares for sanction by competent authority. This sanctions is known as technical sanction to the estimate and it must be obtained before work is commenced. As its name indicates, it amounts to no more than a guarantee that the proposals are structurally sound and the estimates are accurately calculated and based on adequate data. Such sanction will be accorded by an officer of the Public Works Department authorized to do so. In the case of an original work, other than a petty work, the countersignature of the local head of the department on behalf of which its execution is proposed or of such other officer of lower status as may have been empowered to accord administrative approval to it, should be obtained to the plans and estimates in token of his acceptance of them, before technical sanction to the latter is accorded. If, subsequent to the grant of technical sanction, material structural alterations are contemplated, the orders of the original sanctioning authority should be obtained, even though no additional expenditure may be involved by the alterations.

उत्तराखंड शासन द्वारा टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर मे स्यान्सू-भैंगा-चौधार मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण (मार्ग लंबाई 14.00 किमी) हेतु रु 1067.74 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2016) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गई (जून 2016)।कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (06/एसई-08/2016-17 दिनांकित 29-06-2016) मै0 बालाजी इन्फ्राइंजीनियरिंग प्रा0 लि0, गाजियाबाद के साथ रु 904.47 लाख हेतु गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि 28.09.2017 थी। कार्य की सामाप्ति रु 787.39 लाख के साथ (7th फ़ाइनल बिल स0-03 दिनांकित 26.04.2018) की गई थी जबकि फार्म-64 (जुलाई 2018 के अनुसार) कार्य पर कुल व्यय रु 954.73 लाख अंकित किया गया था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, टिहरी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (अगस्त 2018) कि खंड द्वारा न केवल वित्तीय नियमावली के विपरीत (Clause 318 of Financial Handbook volume-VI) प्राविधिक स्वीकृत के पूर्व निविदा आमंत्रित करते हुये Technical evam financial bid खोली गयी अपितु विस्तृत आगणन मे प्रविधानित 07 मदों

[Stone Gr-I 945-90 mm), TMT M-25, Hot thermoplast, Delinear,crash barrier, clearance of landslides and disposal of excavated] को अनुबंध मे शामिल न करके उन्हे अतिरिक्त मद के रूप मे निष्पादित करा कर भुगतान किया गया। पुनः: खंड द्वारा 11 items [Stone Gr-I (45-63mm),Stone Gr-I (22.4-53 mm), Coolie walling, RRM laid dry, RRM 1:6, Cement 1:3:6,Concrete Gr M-10, Gr M-25, Concrete Gr M-20, 5Km Stone, Ord Km stone and wire crates) की दरे अधिक होने के बावजूद न केवल अनुबंध गठित किए गए अपितु विस्तृत आगणन मे प्राविधानित 07 मदो के कार्यो को न कराते हुये अनुबंध को अनुबंधित लागत से रु 117.07 लाख कम पर (रु 787.40 लाख) अंतिमीकरण कर दिया गया। खंड द्वारा न केवल स्वीकृत धनराशि रु 1026.67 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु 280.34 लाख अपितु कार्य की समाप्ति के उपरांत भुगतानित धनराशि रु 170.33 लाख [कुल व्यय धनराशि रु 954.73 लाख - 787.40 लाख] के संबंध मे कोई विवरण या साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व निविदा जारी किए जाने का तथ्य स्वीकार करते हुये उत्तर मे बताया गया कि कुछ मदो मे दरे अधिक एवं अनुबंध मे शामिल न किए जाने का कारण Items rate के आधार पर एवं प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रित करना था। वित्तीय स्वीकृति से अवशेष धनराशि एवं अनुबंध के सापेक्ष भुगतानित धनराशि से रु 170.33 लाख अधिक के व्यय के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि त्रुटिवश अन्य कार्यो से संबन्धित हो गए है जिसे TEO के माध्यम से समायोजित किया जाएगा तथा कुछ अवशेष कार्यो को करा लिया जाएगा।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा न केवल वित्तीय नियमो का उल्लंघन करके कार्य के अपूर्ण अवस्था मे ही अनुबंध का अंतिमीकरण किया गया जबकि रोड सेफ़्टी वर्क, किमी,हेमी एज स्टोन वर्क , क्रैश बैरियर , पैरापेट,एज लाइन एवं डेलीनियर जैसे आवश्यक कार्य अभी कराये जाने शेष थे अपितु अनुबंध के इतर व्यय रु 170.33 लाख अधिक व्यय का न तो कोई विवरण और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सका, का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर: 2 - ` 92.85 लाख व्यय होने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहने के कारण 12 वर्ष बाद भी ग्रामीणो को यातायात की सुविधा से वंचित रखना।

जनपद टिहरी गढ़वाल में पीपलडाली से म्यूड़ा ललवानी मोटर मार्ग (8 किमी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह 08/2005 में रु॰ 111.00 लाख की प्रदान की गई थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह 12/2005 में मुख्य अभियंता (गढ़वाल क्षेत्र) द्वारा रु॰ 111.00 लाख प्रदान की गई थी।

खण्ड की लेखापरीक्षा (माह 08/2018) में पाया गया कि टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध निर्माण से प्रभावित क्षेत्र में संयोजकता प्रदान करने हेतु एवं पीपलडाली, खांड, म्यूड़ा, ललवाली ठाणे को यातायात कि सुविधा प्रदान करने हेतु 8 किमी लंबाई में मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 2006 में प्रारम्भ किया गया किन्तु खण्ड के ढुलमुल रवैये के कारण 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में पुछे जाने पर खंडीय आख्या में बतलाया गया कि प्रारम्भिक 2 किमी में काश्तकारों द्वारा विवाद किए जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका एवं विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हे। लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व खण्ड को स्वीकृत समरेखण पर पड़ने वाली भूमि को विभाग के पक्ष में टाइटल लिया जाना चाहिए था। खण्ड का यह उत्तर भी मान्य नहीं था कि विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कार्य प्रारम्भ के 12 वर्षो बाद भी विवाद न सुलझाना कार्य के प्रति ढुलमुल रवैया दर्शाता है। साथ ही समय पर कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य की लागत बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः कार्य पर जुलाई 2018 तक रु॰ 92.85 लाख व्यय होने के बाद भी चार गांवो को यातायात सुविधा से वंचित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 : वित्तीय नियमावली के विपरीत न केवल अनुबंध गठित कर कार्यो का अपूर्ण निष्पादन किया गया अपितु वित्तीय स्वीकृति से अधिक रु 21.06 लाख का व्यय।

Clause 316 of Financial Handbook Volume-VI: (1) *Original* – For every work (excluding petty works and repairs) it is necessary to obtain in the first instance the concurrence of competent authority of the Administrative Department requiring a work. Formal acceptance of the proposal by that authority is termed “administrative approval” of the work and it is the duty of local officer of the department requiring a work to obtain the requisite approval to it. An approximate estimate and such preliminary plans as are necessary to elucidate and proposal should be obtained from the Public Works Department . The procedure prescribed in this rule will apply also to modifications of proposals originally approved if, by reason of such modifications, revised administrative approval becomes necessary, and to material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may be covered by saving on other items.
(2) Revised – When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed,the amount administratively approved for it by more than 10 per cent, or where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items,revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

उत्तराखंड शासन द्वारा टिहरी के अंतर्गत निरालीधर-दपोली-सुनाली मोटर मार्ग के डामरीकरण मार्ग लंबाई 8 किमी हेतु रु 337.81 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2014) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (फरवरी 2014)।कार्य के निष्पादन हेतु 16 अनुबंध (संलग्नकनुसार-1) रु 233.93 लाख हेतु गठित की गयी (मार्च 2014) जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि मार्च 2015 थी। वर्तमान तक कार्य पर कुल व्यय रु 358.27लाख था (MPR जुलाई 2018 के अनुसार)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, टिहरी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि खंड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत न केवल रु 337.81 लाख के कार्य को 16 छोटे-2 टुकड़ो मे बाँट कर स्वयं के स्तर पर ही अनुबंध गठित किए गए अपितु प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व ही निविदा आमंत्रित कर निविदा खोली गयी जिसके कारण न केवल विस्तृत आगणन के कुछ कार्यो को अनुबंध मे शामिल न कर अतिरिक्त मद मे कार्य कराये गए अपितु विस्तृत आगणन मे प्रविधानित कुछ मदों के कार्यो की मात्राओ के सापेक्ष रु 45.18 लाख की धनराशि के कार्य कम मात्रा मे कराये गए थे जबकि PC एवं tack coat की मात्राओ के

अनुपात के आधार पर मार्ग लंबाई 0.609 किमी के कार्य अभी भी नहीं कराये गए थे। पुनः खंड द्वारा वित्तीय स्वीकृति से रु 21.06 लाख अधिक (MPR जुलाई 2018) का भुगतान किया गया जबकि रु 45.18 लाख की धनराशि के कार्य अभी कराये जाने अवशेष थे।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किए जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुये कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुए बताया कि स्वीकृति से अधिक व्यय की धनराशि की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करा ली जायेगी, तथा अवशेष कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करा लिए जाने का आश्वासन दिया गया।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा न केवल वित्तीय नियमावली के विपरीत निविदा आमंत्रित कर अनुबंध का गठन किया गया अपितु वित्तीय स्वीकृति से अधिक रु 21.06 लाख का व्यय किया गया जबकि रु 45.18 लाख का कार्य अभी कराया जाना अवशेष था, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है.

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
10/2002-03	**3**	**4**
98/2004-05	**-**	**4**
13/2007-08	**1,2**	**2,3,4**
57/2008-09	**-**	**2**
81/2010-11	**1,2**	**-**
90/2011-12	**-**	**2,3**
73/2012-13	**-**	**1,2**
86/2015-16	**-**	**1,2**
100/2016-17	**-**	**1,2,3,4**
59/2017-18	**-**	**1,2,3,4,5,6**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार को पूर्व मे ही प्रेषित कर दिया गया था।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   माप पुस्तिका संख्या: 130L, 134L, 164L

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) Nil

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री कलम सिंह नेगी	अधिशासी अभियंता	02.07.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।

a. श्री आर. आर. राणा 29.06.2015 से 31.07.2018

b. श्री बिपिन कुमार 31.07.2018 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2